	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	ज्येष्ठ 26, गुरूवार, शाके 1944-जून 16, 2022 *Jyaistha 26, Thursday , Saka 1944- June 16, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-3

अधिसूचना

जयपुर, जून 15, 2022

जी.एस.आर.46 :- राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973 (1973 का अधिनियम सं. 9) की धारा 21 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, लोकायुक्त के परामर्श से, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2022 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. नये नियम 11क का अंत: स्थापन.- राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2013 के विद्यमान नियम 11 के पश्चात और विद्यमान नियम 12 के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 11क अंत: स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"11क. नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.- आपवादिक मामलों में जहां लोकायुक्त का यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां लोकायुक्त की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह आदेश द्वारा इन नियमों के सुसंगत उपबंधो को, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगा :

परन्तु,-

(I) ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पूर्व में अन्तर्विष्ट उपबंधों से कम अनुकूल नहीं होगा।

(।।) इस नियम के अधीन विहित सेवा या अनुभव की कालावधि में शिथिलीकरण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने से पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा।"

[संख्या एफ.6 (7)डीओपी/ए-।।।/2013]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
डॉ0 प्रिया बलराम शर्मा,
शासन उप सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
A-Gr.-III
NOTIFICATION
Jaipur, June 15, 2022

G.S.R.46 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 read with section 21 of the Rajasthan Lokayukta and Up-Lokayuktas Act, 1973 (Act No. 9 of 1973), the Governor of Rajasthan, in consultation with the Lokayukta, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new rule 11A.- After the existing rule 11 and before the existing rule 12 of the Rajasthan Lokayukta Sachivalaya Class IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2013, the following new rule 11A shall be inserted, namely :-

"11A. Power to relax the rules.- In exceptional cases where the Lokayukta is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Lokayukta is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, he may by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as he may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that,-

(i) such relaxation shall not be less favorable than the provisions already contained in these rules.

(ii) relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee."

[No. F. 6(7)DOP/A-III/2013]
By order and in the name of Governor,
DR. PRIYA BALRAM SHARMA,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.